



राजकीय पॉलीटेक्निक विकासनगर देहरादून

ग्राम— जस्सोवाला, पोस्ट— हरबर्टपुर, जिला— देहरादून—248142



- gpvikasnagar@gmail.com



www.gpvikasnagar.org.in

Cost tender document: Rs. 500
GST (12 %): Rs. 60
Tender Total Cost: Rs. 560

पत्रांक संख्या :- 933 / स्टोर / मैस / निविदा / 2023-24

दिनांक:- 11 दिसम्बर 2023

:: निविदा सूचना ::

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर, देहरादून द्वारा ग्राम—जस्सोवाला स्थित संस्था के पुरुष छात्रावास तथा महिला छात्रावास (प्रस्तावित) में अंतःवासियों की भोजन व्यवस्था हेतु मैस एवं संस्था में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं व कार्यरत स्टॉफ के चायपान हेतु कैंटीन संचालन के लिए दो बिड प्रणाली के अन्तर्गत मोहर बन्द निविदायें दिनांक 21.12.2023 अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र संस्था के केन्द्रीय भण्डार से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 12.12.2023 से 16.12.2023 के मध्य प्रातः 11.00 से 02.00 बजे तक नियत धनराशि का नकद भुगतान कर प्राप्त/जमा किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र संस्था की वेबसाइट www.gpvikasnagar.org.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ रु0 560/- (रु0पांच सौ साठ मात्र) का किसी भी बैंक पर आहरित बैंक ड्राफ्ट जो प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर, देहरादून के नाम पर विकासनगर, देहरादून पर अदेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ रु0 25000/- मात्र (रु0 पच्चीस हजार मात्र) की धरोहर राशि जो बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर, देहरादून के नाम तथा देहरादून पर देय हों, के माध्यम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा के संबंध में आवश्यक शर्तें, महत्वपूर्ण तिथियां, कार्य का सम्पूर्ण विवरण, निर्देश इत्यादि निविदा प्रपत्र में दिए गए हैं। यह अपेक्षित होगा कि निविदादाता निविदा भरने से पूर्व सभी शर्तों तथा तिथियों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। विलम्ब से प्राप्त, अपूर्ण एवं शर्तों के अनुरूप अभिलेख के बिना जमा की गई निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस संबंध में निविदादाता का दावा स्वीकार नहीं होगा। डाक द्वारा प्रेषित निविदा के संबंध में अवगत कराना है कि पोस्टल विभाग द्वारा निविदा के विलम्ब से प्राप्त कराने हेतु संस्था कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस प्रकार विलम्ब से प्राप्त निविदा बिना किसी कार्यवाही के स्वतः निरस्त समझी जाएंगी। प्रधानाचार्य व इस कार्य हेतु गठित समिति को शर्तों में परिवर्तन करने, किसी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा जो समस्त निविदादाता फर्मों अथवा व्यक्तियों को स्वीकार्य होगा।



राजकीय पॉलीटेक्निक विकासनगर देहरादून

ग्राम— जस्सोवाला, पोस्ट— हरबर्टपुर, जिला— देहरादून—248142



- Gpvikasnagar@gmail.com



www.Gpvikasnagar.org.in

Cost tender document: Rs. 500

GST (12 %): Rs. 60

Tender Total Cost: Rs. 560

निविदा प्रपत्र

संस्था का संक्षिप्त परिचय :

राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर देहरादून अभियांत्रिकी तथा फॉर्मसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक अग्रणी राजकीय संस्था है। 2008 में स्थापित इस संस्था में वर्तमान में तीन अभियांत्रिकी तथा एक फॉर्मसी सहित कुल चार पाठ्यक्रम संचालित हैं जिसमें लगभग 286 छात्र/छात्राएँ अध्ययनरत हैं। समस्त पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमोदित है। संस्था में एक पुरुष छात्रावास संचालित है तथा एक महिला छात्रावास (प्रस्तावित) हैं जिसकी प्रवेश क्षमता क्रमशः 40 व 30 है। संस्था प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक संचालित होती है। यह संस्था ग्राम—जस्सोवाला, पोस्ट— हरबर्टपुर पर में स्थित हैं जो कि जस्सोवाल चौक, चकराता रोड से लगभग 1.5 किमी की दूरी पर स्थित है।

निविदा आमंत्रण का उद्देश्य:

संस्था के पुरुष छात्रावास तथा महिला छात्रावास (प्रस्तावित) के अंतःवासियों की भोजन व्यवस्था व संस्था कार्य अवधि में उपस्थित छात्र/छात्राओं तथा स्टाफ को कैंटीन के माध्यम से चाय, स्नैक्स व दिन के भोजन हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है जिसका प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छ व स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना है। संचालित कैंटीन व मैस का उपयोग यदा कदा संस्था में पधारने वाले अस्थायी प्रशिक्षणार्थियों, आगंतुकों व अतिथियों द्वारा भी किया जाएगा। संस्था में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी इस सुविधा का उपभोग किया जा सकेगा।

कार्य की प्रकृति :

संस्था लगभग 286 छात्रों और 25 कर्मचारियों के लिए पुरुष छात्रावास तथा महिला छात्रावास (प्रस्तावित) मेस और कैंटीन को समन्वित रूप से संचालित करने की योग्यता धारक निविदा दाताओं से निविदा आमंत्रित करती है जो पुरुष छात्रावास तथा महिला छात्रावास (प्रस्तावित) मैस और कैंटीन को एक आइटम (Single work) के रूप में संचालित करने के इच्छुक हों। प्रारंभ में मैस व कैंटीन संचालन हेतु एक वर्ष का अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है जो आपसी समझौते से तीन वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

निविदादाता से अपेक्षित सेवायें निम्नवत हैं:—

- 1— छात्र/छात्राओं तथा स्टाफ के लिए यथोचित प्रकार के भोजन स्नैक्स इत्यादि को बनाना तथा स्वच्छता से परोसना।
- 2— प्रत्येक सर्विस के बाद प्रयुक्त बर्तनों तथा उपकरणों इत्यादि की समुचित सफाई करना।
- 3— रसोईघर तथा खाने में प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण/क्रॉकरी,फर्नीचर जिसमें डस्टबिन, सिंक, वाटर प्यूरीफायर, वाटर कूलर इत्यादि सम्मिलित है, की सफाई व अनुरक्षण करना।

सामान्य शर्तें :

- 1- निविदादाता निविदा प्रपत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों/अर्हता/कार्य इत्यादि के सम्बन्ध में सम्यक अध्ययन के उपरान्त ही निविदा जमा करें। किसी प्रकार की जानकारी अथवा तथ्य का अभाव निविदादाता का स्वयं का होगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 2- निविदा के साथ परिशिष्ट 2 के अनुरूप समस्त अभिलेखों का संलग्न होना अनिवार्य है।
- 3- प्रधानाचार्य अथवा उनके द्वारा गठित समिति निविदा की शर्तों में बिना किसी पूर्व सूचना के संशोधन कर सकते हैं। संशोधन संस्था की वेबसाइट www.gpvikasnagar.org.in पर उपलब्ध होगा। अतः निविदादाता का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह निविदा जमा करने से पूर्व इन संशोधनों का संज्ञान लेते हुए इसके अनुसार ही निविदा जमा करें।
- 4- यह निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है।
- 5- एक ही दिन के दोपहर व रात के खाने में सब्जी अथवा दाल की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है।
- 6- छात्रावास के अन्तःवासियों को दिये जाने वाला नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन की मात्रा सीमित नहीं होगी।
- 7- प्रारंभ में मैस व कैंटीन संचालन हेतु एक वर्ष का अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है जो आपसी समझौते से तीन वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है। परन्तु मैस ठेकेदार के संस्था के बाहर अथवा अन्दर किसी ऐसे कृत्य में लिप्त पाये जाने पर जिससे संस्था की सामान्य प्रतिष्ठा प्रभावित होती हो, अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा।
- 8- संस्था प्रशासन 01 माह के नोटिस पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
- 9-सफल बोलीदाता व्यक्ति/फर्म को अनुबंध करने से पूर्व संस्था में ₹50,000/- (₹50 हजार मात्र) की प्रतिभूति धनराशि एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी जो प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर देहरादून के नाम पर आहरित तथा विकासनगर देहरादून पर देय हो जमा करनी होगी।
- 10-संस्था द्वारा मैस अथवा कैंटीन संचालन हेतु आवंटित स्थान का प्रयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्थान आवंटित है। अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 11-पुलिस रिकॉर्ड में किसी अभियोग में पंजीकृत अथवा दण्डित कर्मचारी रखा जाना अनुमन्य नहीं है।
- 12-मैस अथवा कैंटीन में अग्नि अथवा अन्य सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 13- मैस अथवा कैंटीन के संचालन के लिए निर्धारित अवधि में परिवर्तन केवल सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही किया जा सकेगा।
- 14-तकनीकी बिड दिनांक 21.12.2023, को अपराह्न 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकी बिड में सफल पाए जाने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी।
- 15-जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड स्वीकार नहीं होती है, उनकी धरोहर राशि अगले कार्यदिवस में वापस कर दी जाएगी।
- 16-वित्तीय बोली (मूल्य अनुसूची) और तकनीकी बोली निविदा दस्तावेज के मूल्य अनुसूची के तहत दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 17-निविदादाता के द्वारा तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली को अलग-अलग लिफाफे में सीलकर (चेक लिस्ट के अनुसार) एक बड़े लिफाफे में सील करके राजकीय पालीटेक्निक विकासनगर,

देहरादून में जमा करना होगा। लिफाफे के ऊपर पुरुष छात्रावास तथा महिला छात्रावास (प्रस्तावित) मेस और स्टॉफ कैटिन हेतु निविदा एवं निविदा खोलने की दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

18—प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, विकासनगर देहरादून के पास निविदा प्रक्रिया को किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

19—निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अभिलेख इत्यादि पर होने वाला व्यय निविदादाता की जिम्मेदारी है तथा संस्था इस प्रकार के किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करेगी।

20—सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध प्रदान करने की तिथि से रू0 100/- संलग्न प्रपत्र में अपने स्वयं के खर्च पर अनुबंध निष्पादित करेगा।

21—बोली दाता को निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ने के प्रमाण में सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर के साथ विधिवत् भरा हुआ निविदा दस्तावेज भी जमा करना चाहिए।

22—जिस निविदादाता की बोली स्वीकार की जाती है, उन्हें संस्थान द्वारा अनुबंध प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा। स्वीकृत प्रस्ताव के नियम और शर्तें अनुबंध में शामिल की जाएंगी।

23—निविदादाता के पास डबल बर्नर स्टोव, गैस सिलेंडर, वेजिटेबल कटर, ग्लास, ब्रेकफास्ट प्लेट, लंच प्लेट, कड़ाही, फ्राइंग, चम्मच आदि जैसे सभी रसोई उपकरण होने चाहिए। संस्थान को उपरोक्त प्रदान करने का दायित्व नहीं है। .

24—बोलीदाता को संलग्नों के साथ श्रम लाइसेंस का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

25—सभी विवाद केवल देहरादून क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

निविदा के बारे में मुख्य जानकारी

- 1—निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि— निविदा प्रपत्र संस्था स्टोर से ₹0 560/—(₹0 पांच सौ साठ मात्र) के नकद भुगतान द्वारा दिनांक 12.12.2023 से 16.12.23 के मध्य किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 से 2.00 बजे के मध्य प्राप्त/जमा की जा सकती है। निविदा प्रपत्र संस्था की वेबसाइट www.gpvikasnagar.org.in पर उपलब्ध हैं। निविदादाता इन वेबसाइटों से बोलियां डाउनलोड कर सकते हैं परन्तु इस प्रकार डाउनलोड किए गए निविदा प्रपत्र के साथ 560/— (₹0 पांच सौ साठ मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट/चैक जो प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर, देहरादून के नाम आहरित तथा विकासनगर देहरादून में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2— जमा करने का तरीका— पूर्ण रूप से भरी तथा समस्त संलग्नों व धरोहर राशि सहित निविदाएं स्वयं दिनांक 21.12.23 अपराह्न 2.00 बजे तक संस्था के प्रशासनिक भवन में स्थित स्टोर अनुभाग में जमा की जा सकती हैं। इसी प्रकार की निविदाएं पंजीकृत डाक अथवा कुरियर के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती हैं परन्तु प्रेषित निविदा दिनांक 21.12.23 अपराह्न 2.00 बजे तक संस्था कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। बिलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी तथा यह स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
- 3— निविदा के संबंध में आवश्यक शर्तें, महत्वपूर्ण तिथियां, कार्य का सम्पूर्ण विवरण, निर्देश इत्यादि निविदा प्रपत्र में दिए गए हैं तथा यह निविदा प्रपत्र का भाग हैं। यह अपेक्षित होगा कि निविदादाता निविदा भरने से पूर्व सभी शर्तों तथा तिथियों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। बिलम्ब से प्राप्त, अपूर्ण एवं शर्तों के अनुरूप अभिलेख के बिना जमा की गई निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस संबंध में निविदादाता का दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 4—निविदा प्रपत्र के साथ दिए गए समस्त परिशिष्ट तथा अनुलग्नक जो निविदा दस्तावेज के भाग हैं, आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरांत निविदादाता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनके नाम के साथ हस्ताक्षरित होने चाहिए। बिना हस्ताक्षर युक्त अभिलेख मान्य नहीं होंगे।
- 5—निविदा की तकनीकी तथा वित्तीय बिड अलग— अलग लिफाफे जिस पर तकनीकी तथा वित्तीय बिड स्पष्ट रूप से अंकित हो, में सील कर इन लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर जमा करने की अंतिम तिथि: 21.12.23 अपराह्न 02.00 बजे तक है। सभी लिफाफे पर “पुरुष छात्रावास तथा महिला छात्रावास (प्रस्तावित) में मैस तथा संस्था में कैंटीन हेतु निविदा” स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तकनीकी बिड वाले लिफाफे पर “तकनीकी बिड” तथा वित्तीय बिड वाले लिफाफे पर “वित्तीय बिड” अंकित होना चाहिए।
- 6— तकनीकी बिड के साथ ₹0 25000/— (₹0 पच्चीस हजार मात्र) की धरोहर राशि जो बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/एफ0डी0आर0/बैंकर्स चैक/चैक जो प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर, देहरादून के नाम आहरित तथा देहरादून में देय हो, मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ निर्धारित धरोहर राशि के संलग्न न होने पर निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
- 7— तकनीकी बोली के साथ संलग्न किए गए धरोहर राशि से संबंधित बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक की छाया प्रति वित्तीय बिड के अन्य अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8— सफल बोलीदाता को तत्काल ₹0 50000/— (₹0 पचास हजार मात्र) की प्रतिभूति धनराशि जो कम से कम एक वर्ष के लिए वैध किसी भी बैंक पर आहरित सावधि जमा रसीद के रूप में हो, जमा करना होगा। सावधि जमा रसीद प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर देहरादून के नाम आहरित तथा विकासनगर देहरादून में देय होना चाहिए।
- 9— निर्धारित अवधि के अन्दर प्रतिभूति धनराशि जमा न कर सकने पर ऐसे बोलीदाता की धरोहर राशि जब्त करते हुए अगले न्यूनतम बोली दाता को अवसर प्रदान कर दिया जाएगा और इस संबंध में प्रथम न्यूनतम बोलीदाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 10— सफल बोलीदाता को प्रत्येक दशा में 27.12.2023 से मैस का संचालन करना होगा।
- 11— निविदा खोलने की तिथि पर सार्वजनिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
- 12— निविदा के संबंध में सर्वाधिकार समिति तथा प्रधानाचार्य के पास सुरक्षित है।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक विकासनगर,
देहरादून

परिशिष्ट : 1**महत्वपूर्ण तिथियां एवं सन्दर्भ**

1	निविदा जारी होने की तिथि :	दिनांक 12.12.2023 दिन मंगलवार
2	संस्था केन्द्रीय भण्डार से निविदा प्राप्त करने की तिथि :	दिनांक 12.12.2023 दिन मंगलवार से दिनांक 16.12.2023 दिन शनिवार तक प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 11.00 से अपराह्न 2.00 बजे तक
3	निविदा जमा करने का स्थान व समय :	केन्द्रीय भण्डार, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर, देहरादून ग्राम-जस्सोवाला, देहरादून में दिनांक 21.12.2023 दिन गुरुवार अपराह्न 2.00 बजे तक।
4	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 21.12.2023 दिन गुरुवार अपराह्न 2.00 बजे तक।
5	प्री-बिड हेतु निर्धारित स्थान एवं तिथि	प्रशासनिक ब्लॉक, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर, देहरादून ग्राम-जस्सोवाला, देहरादून में 18.12.2023 दिन सोमवार अपराह्न 3.00 बजे।
6	तकनीकी बिड खोले जाने का स्थान व समय :	प्रशासनिक ब्लॉक, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर, देहरादून ग्राम-जस्सोवाला, देहरादून में दिनांक 21.12.2023 दिन गुरुवार अपराह्न 3.00 बजे।
7	वित्तीय बिड खोलने का स्थान व समय	तकनीकी बिड में अर्ह पाई निविदा के परीक्षण के उपरांत प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर देहरादून के कार्यालय कक्ष में।

परिशिष्ट : 2
भाग 1 निविदाकर्ता की रूपरेखा

तकनीकी योग्यता बोली

क्र० सं०	विवरण		टिप्पणी (हां/नहीं)
1	आवेदक/फर्म का नाम :		
2	पंजीकृत कार्यालय :	प्रति संलग्न करें।	
3	स्थापना वर्ष :		
4	संगठन का प्रकार :	प्रति संलग्न करें।	
5	फर्म के मालिक, भागीदारों/निदेशकों का नाम, पता और फोन नंबर के साथ :	आधार कार्ड सहित विवरण संलग्न करें।	
6	क्या 24X7 सेवा और सहायता उपलब्ध होगी	हां/नहीं	
7	खाद्य लाइसेंस संख्या (FSSAI द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जानी है)	प्रति संलग्न करें।	
8	संस्थागत प्रतिष्ठानों में खानपान सेवाओं में न्यूनतम 03 वर्ष का 10 लाख रुपये के न्यूनतम वार्षिक कारोबार का विवरण (वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23)	वार्षिक कारोबार (टर्न ओवर) के सम्बन्ध में सी0ए0 द्वारा निर्गत बैलेन्स सीट/प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
9	संस्थागत प्रतिष्ठानों में खानपान सेवाओं में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव एवं दक्षता होनी चाहिए। (वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23)	संस्थागत प्रतिष्ठानों के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
10	फर्म या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ किसी भी अदालत में लंबित कानूनी मामले या किसी भी मुद्दे, विशेष रूप से वैधानिक कानूनों, आदि में किसी भी उल्लंघन के संबंध में यदि कोई हो, तो विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही फर्म द्वारा यह वचन दिया जाना चाहिए कि यह पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं है।	फर्म द्वारा उक्त के सम्बन्ध में रु0 100 का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।	
11	पैन कार्ड प्रति संलग्न करें,	प्रति संलग्न करें।	
12	माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) पंजीकरण संख्या (प्रति संलग्न की जाए)	प्रति संलग्न करें।	

स्थान—
दिनांक—

(नाम, पदनाम और कंपनी की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

भाग 2

पिछले अनुबंधों का विवरण

अनुबंध की अवधि कब से कब तक	संगठन का नाम और पता संदर्भ पत्रों के साथ	संपर्क व्यक्ति का नाम और फोन नंबर	अनुबंध का मूल्य और अन्य विवरण	टिप्पणियां

आपके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के वर्तमान अनुबंधों, यदि कोई हो, का विवरण दें जो हमारे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हों:

अनुबंध की अवधि कब से कब तक	संगठन का नाम और पता संदर्भ पत्रों के साथ	संपर्क व्यक्ति का नाम और फोन नंबर	अनुबंध का मूल्य और अन्य विवरण	टिप्पणियां

स्थान—
दिनांक—

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि यदि निविदा खोलने के बाद तकनीकी बोली/निविदा दस्तावेज में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत पाई जाती है, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ईएमडी धनराशि/बोली सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और सफल बोलीदाता के मामले में राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर देहरादून द्वारा निष्पादन गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

ठेकेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
एजेंसी/फर्म की मुहर साथ

विशिष्ट/विशेष नियम और शर्तें

पुरुष छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन निविदादाता को अनुभव, पहले किए गए अनुबंधों, सभी क्षेत्रों के भोजन तैयार करने की क्षमता, प्रबंधकीय क्षमताओं और अन्य के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा अर्थात् निविदा समिति द्वारा उपयुक्त माना जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो प्रतिनिधियों/वार्डन की समिति निविदादाता द्वारा बनाये जा रहे भोजन आदि की गुणवत्ता की जांच के लिए उसके छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन/कैंटीन सेवाओं के वर्तमान अनुबंध के स्थान पर भी जा सकती है। कैंटीन निविदादाता को यह नोट करना आवश्यक है कि छात्रावास के छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और संतुष्टि छात्रावास की प्राथमिकता है। निम्नलिखित नियम और शर्तें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगी।

- 1- यह छात्रावास मेस एवं स्टाफ कैंटीन अनुबंध प्रारंभ में 01 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि छात्रावास के छात्र-छात्रा और छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका बोली लगाने वाले के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, तो अनुबंध की अवधि को बिना निविदा आमंत्रित किए 02 वर्ष (अर्थात् अधिकतम कार्यकाल 03 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।
- 2- छात्रावास बिजली, फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। ये सुविधाएं निविदादाता के प्रभारी होंगी और सामान्य टूट-फूट के अलावा किसी भी नुकसान/क्षति के लिए वह जिम्मेदार होगा। किसी भी नुकसान या क्षति के मामले में, निविदादाता को खोई हुई वस्तुओं को बदलना होगा/वार्डन के अनुमोदन और निर्देशों के अधीन आवश्यक मरम्मत करनी होगी।
- 3- छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन में और उसके आसपास सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफाई के संबंध में वार्डन के सुझावों/कार्यों का पालन करना होगा और इस पर होने वाला खर्च निविदा लगाने वाले को वहन करना होगा।
- 4- छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन के प्रभावी संचालन और प्रबंधन के लिए निविदादाता को दो छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिकों को रखना आवश्यक है। प्रत्येक छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन में कार्यकर्ता की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- 5- निविदादाता/एजेंसी द्वारा तैनात प्रबंधक/कर्मचारियों को किसी भी छात्र/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।
- 6- संस्थान परिसर में धूम्रपान और नशा (दवा, शराब, गुटखा, तंबाकू, आदि) सख्त वर्जित है।
- 7- अनुबंध अवधि के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर अनुबंध सेवा की समाप्ति के लिए दोनों ओर से एक महीने का नोटिस आवश्यक है।
- 8- निविदादाता को छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन के प्रवेश द्वार पर शिकायत रजिस्टर लगाना होगा जिसे छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित आधार पर चेक किया जाएगा।
- 9- यदि प्रबंधक का छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन प्रबंधन सही नहीं है या भोजन की गुणवत्ता मानक से नीचे या अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छ पाई जाती है, तो संस्थान को पूरी तरह से अधिकार है कि वह एक सप्ताह के अल्प नोटिस के साथ अनुबंध समाप्त करें। छात्रावास अधीक्षक समिति की राय जहां तक भोजन की गुणवत्ता/छात्रावास मेस एवं स्टाफ कैंटीन प्रबंधन का संबंध है, अंतिम है।
- 10- भोजन, कच्चा माल, सामग्री आदि अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ, ताजा, पौष्टिक और स्वच्छ होने चाहिए। किसी भी प्रकार के पके हुए भोजन को भोजन के बाद संग्रहीत/संरक्षित नहीं किया जाएगा, ऐसे मामलों में वार्डन के सुझावों/निर्देशों का पालन नहीं करना अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए दंड आमंत्रित करना होगा।

11- छात्रावास के मेस और स्टाफ कैंटीन के कर्मचारी और रसोइया स्वस्थ और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उन्हें नियमित चिकित्सा जांच करानी होगी जिसका व्यय छात्रावास मेस एवं स्टाफ कैंटीन प्रबन्धक को स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसे अपने कर्तव्यों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन प्रबन्धक को बिना किसी असफलता के उसे तुरंत बदलना होगा।

12- निविदादाताओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन के कर्मचारी की यूनिफॉर्म को साफ होनी चाहिए।

13- इस निविदा के साथ निविदादाता द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दैनिक मेनू का नमूना संलग्न है। मौसमी सब्जियों की उपलब्धता और उनकी बाजार आपूर्ति के अनुरूप छात्रावास अधीक्षक के साथ छात्रावास मेस एवं स्टाफ कैंटीन मेन्यू तैयार किया जाता है तो तैयार मेनू पर विचार किया जा सकता है।

14- भोजन निर्धारित समय पर दिया जाना चाहिए विषम परिस्थिति आने पर समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

15- बीमारी की अवधि के दौरान प्रबन्धक बीमार छात्र (छात्रों) को हल्का भोजन प्रदान करेगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

16- मैस प्रबन्धक द्वारा मैस के शुरुआत में छात्रों से खाना खाने का 15 दिन का अग्रिम धनराशि ली जा सकती है। छात्रों के खाने के बिल के लेनदेन की जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी। संस्था के मैस/कैंटीन में जो भी सामान उपलब्ध है वह मैस/कैंटीन प्रबन्धक को उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा मैस/कैंटीन समाप्ति के बाद उसी स्थिति में पुनः वापस लिया जायेगा।

17- छात्रावास मेस के भुगतान की गणना छात्रावास मेस के संचालन के वास्तविक दिनों में होगी।

18- कैंटीन प्रबन्धक छात्रों/अतिथियों/स्टाफ से शुल्क सीधे वसूल करेगा, लेन-देन की जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी।

19- छात्रावास के मेस और स्टाफ कैंटीन के बर्तनों को प्रत्येक भोजन के बाद डिटर्जेंट पाउडर/साबुन का उपयोग करके गर्म पानी से साफ करना चाहिए।

20- निविदादाता को अपने सभी कर्मचारियों/छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन के कर्मचारियों के विवरण/रिकॉर्ड को बनाए रखना आवश्यक है। यह जानकारी उनकी तस्वीरों के साथ संस्था को प्रस्तुत की जाएगी।

21- छात्रावास मेस एवं स्टाफ कैंटीन कर्मचारी/कर्मचारियों या उनके किसी भी कर्मचारी को चोट/मृत्यु के कारण किसी दुर्घटना के मामले में दायित्व/जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। ऐसे मामलों में संस्था की किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं होगा।

22- खाद्य विषाक्तता की घटनाओं के मामले में निविदादाता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और छात्रावास के छात्र-छात्राओं के चिकित्सा उपचार के लिए इससे होने वाले पूरे खर्च को वहन करेगा।

23- निविदादाता किसी भी छात्रावास मेस और स्टाफ कैंटीन कर्मचारी को नियुक्त नहीं करेगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। निविदादाता द्वारा तैनात स्टाफ किसी भी अपराध/पुलिस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए।

24- किसी भी मादक पेय/शराब का भंडारण/उपभोग सख्त वर्जित है। प्रबन्धक छात्रावास मेस एवं स्टाफ कैंटीन/छात्रावास में ऐसा कोई भी पदार्थ/पेय नहीं रखेगा। छात्रावास परिसर में धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, पान आदि का सेवन भी प्रतिबंधित है।

25- छात्रावास मेस एवं स्टाफ कैंटीन कर्मियों को नियोजित करने के संबंध में निविदादाता को सभी श्रम कानूनों/सरकारी कानूनों का पालन करना होगा। किसी भी विवाद/श्रम कानूनों/सरकारी कानूनों के उल्लंघन के लिए निविदादाता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

26— छात्रावास के मेस और स्टाफ कैंटीन के कर्मचारियों के उचित व्यवहार के लिए प्रबन्धक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि यह पाया जाता है कि किसी भी कर्मचारी ने छात्रावास के किसी भी कर्मचारी/छात्रावास के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसे संस्था को सूचित करते हुए वार्डन द्वारा सुझाए गए अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

27— प्रबन्धक को अन्य तैयार खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, वेफर, नमकीन और स्वादयुक्त दूध आदि जब भी आवश्यकता हो, उपलब्ध कराना होगा।

28— किराने की वस्तुओं के उच्च गुणवत्ता का ही उपयोग करने की अनुमति है।

29— शीतकालीन अवकाश एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान संस्था के निर्देशों के अनुसार छात्रावास मेस एवं स्टाफ कैंटीन बंद रहेगी।

30— निविदादाता भारत सरकार के प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार इस अनुबंध के निष्पादन के लिए एक समझौता करेगा और इसके लिए पूरी लागत वहन करेगा।

31— बोलीदाता द्वारा अपने खर्च पर खाद्य सामग्री की बर्बादी के कारण रुकावट के मामले में ड्रेनेज लाइन का रखरखाव/मरम्मत की जानी है।

32— फर्म को सौंपे गए कार्य के लिए ठेकेदार किसी भी उप-ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा। इसके अलावा, न तो अनुबंध का कोई हिस्सा और न ही कोई शेयर या ब्याज किसी भी तरीके या डिग्री में ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, फर्म या किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित, सौंपा या सबलेट किया जाएगा।

33— निम्नलिखित नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रबन्धक पर जुर्माना लगाया जाएगा:

—काउंटर पर शिकायत रजिस्टर की अनुपलब्धता/शिकायत को हतोत्साहित करने पर रू0 1000/— का जुर्माना लगाया जाएगा।

—किसी भी भोजन में कीड़े पाए जाने की 3 या अधिक शिकायतों पर रू0 2000/— का जुर्माना लगाया जाएगा।

—एक दिन में 10 या इससे अधिक अशुद्ध बर्तनों की शिकायत करने पर रू0 2000/— का जुर्माना लगाया जाएगा।

—यदि छात्रावास मेस एवं स्टाफ कैंटीन के समय के भीतर किसी भी भोजन के लिए भोजन और प्रतीक्षा समय 20 मिनट से अधिक है, तो रू0 1000/— का जुर्माना लगाया जाएगा।

—छात्रावास मेस एवं स्टाफ कैंटीन समिति की अनुमति के बिना मेनू में परिवर्तन करने पर रू0 2000/— का जुर्माना लगाया जाएगा।

—अनुबंध में वर्णित किसी भी नियम के लिए – नियम का पहला उल्लंघन नियम के अनुसार जुर्माना है। एक ही कैलेंडर माह में समान नियम का दूसरा उल्लंघन करने पर कैंटर के लिए प्रारंभिक जुर्माने की तीन गुना राशि लगेगी। एक ही नियम के बाद के सभी उल्लंघनों पर जुर्माना की प्रारंभिक राशि का पांच गुना आमंत्रित किया जा सकता है।

34— सुरक्षा विनियम – अनुबंध के हिस्से के रूप में सौंपे गए कार्य को करने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार सुरक्षा कोड के अनुसार अपने स्वयं के खर्च पर श्रमिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। सीपीडब्ल्यूडी, भारतीय मानक संस्थान, विद्युत अधिनियम, विभिन्न सुरक्षा नियम, उसके तहत बनाए गए नियम और आदेश और ऐसे अन्य अधिनियम जो लागू हों। मेस किचन में अग्नि सुरक्षा उपकरण पार्टी द्वारा वहन किए जाएंगे।

35— सांविधिक प्रावधानों की पूर्ति – ठेकेदार प्रासंगिक अधिनियमों के सभी वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठेका श्रमिक (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम और अन्य सभी श्रम और औद्योगिक अधिनियम अपने जोखिम और लागत पर उसके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों के

संबंध में। किसी भी अधिनियम आदि के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन/गैर-अनुपालन के लिए संस्थान के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के लिए संस्थान को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसलिए, किसी भी अधिनियम के इन प्रावधानों में से किसी का भी अनुपालन या उल्लंघन के कारण होगा अनुबंध की तत्काल समाप्ति। ठेकेदार वैधानिक अधिनियमों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी अभिलेखों को बनाए रखेगा और वार्डन और उसके अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी समय ऐसे सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने के हकदार होंगे। 18 (अठारह) वर्ष से कम आयु के किसी भी कर्मचारी को छात्रावास में और स्टाफ कैटीन के काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

36- कामगारों को दुर्घटना या चोट- संस्थान बीमा कंपनी के दावे के माध्यम से ठेकेदार के रोजगार में किसी भी कामगार या अन्य व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना या चोट के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप देय किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार इस तरह के सभी नुकसान और मुआवजे के संबंध में या उसके संबंध में संस्थान को क्षतिपूर्ति करेगा।

37- किसी भी परिस्थिति में प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, देहरादून के साथ किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए ठेकेदार के कर्मचारी का कोई दावा नहीं होगा।

38- मेस/कैटीन का विद्युत प्रभार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

39- वित्तीय बोली का मूल्यांकन पुरुष व महिला छात्रावास में मेस हेतु **Annexure-I** तथा संस्था में कैन्टीन हेतु **Annexure-II** में दी गयी दरों के कुल मूल्य पर किया जायेगा।

फॉर्म-1
निविदा/शर्तें स्वीकृति पत्र

(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाना है)

दिनांक—

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर
देहरादून।

निविदा संख्या / मैस संचालन/2023-24

दिनांक दिसम्बर 2023

विषय— टेंडर के नियमों और शर्तों की स्वीकृति।

निविदा का नाम:

श्रीमान,

1— मैंने/हमने उपर्युक्त 'निविदा/कार्य' के लिए निविदा दस्तावेज (दस्तावेजों) को बेवसाइड से खरीदा/डाउनलोड किया है। राजकीय पॉलीटेक्निक, देहरादून की बेवसाइड www.gpvikasnagar.org.in के अनुसार उपरोक्त वेबसाइट में दिया गया है।

2— मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेजों (अनुलग्नक, अनुसूची आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित), जो अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं और मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।

3— इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके संस्था द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र को भी ध्यान में रखा गया है।

4— मैं/हम एतद्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज (दस्तावेजों)/शुद्धिपत्र की निविदा शर्तों को पूरी तरह से/पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं।

5— यदि इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपका संस्थान इस निविदा/बोली को पूरी तरह से जब्त करने सहित पूरी तरह से रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा और संगठन के खिलाफ संतुष्टि में हमारा कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

आपका आभारी,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर)

फर्म-॥

नैतिक प्रथाओं का प्रमाण पत्र

(यह दस्तावेज निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगा और तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाएगा)

1- मैं/हम प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, विकासनगर देहरादून को आश्वस्त करता हूं/करते हैं कि न तो मैं/हम और न ही मेरा/हमारा कोई कर्मचारी ऐसा कोई कार्य करेगा, जो हमें दिए गए अनुबंध के निष्पादन के दौरान अनुचित/अवैध हो।

2- न तो मैं/हम और न ही मेरी/हमारी ओर से कोई भी संगठन/संस्था के साथ मेरे/हमारे व्यवहार में किसी भी भ्रष्ट गतिविधियों/व्यवहारों में लिप्त होगा।

3- संस्था में हमारे किसी भी कार्य/अनुबंध में मेरा/हमारा हितों का टकराव नहीं होगा।

4- हम कैंटीन और उसके आस-पास को स्वच्छ रखेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है।

5- हमारी फर्म को किसी सरकारी/अर्ध सरकारी या कोई अन्य संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है।

स्थान-

दिनांक

आपका आभारी,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर)

वित्तीय / वाणिज्यिक बोली

राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर, देहरादून			
कार्य का नाम		छात्रावास मैस के संचालन	
प्रबन्धक का नाम			
क्र०सं०	मदों का विवरण	दर (रु० में)	दर (रु० में) शब्दों में
1	सुबह का नाश्ता की दर प्रति छात्र प्रति दिन		
2	दोपहर के खाने की दर प्रति छात्र प्रति दिन		
3	रात के खाने की दर प्रति छात्र प्रति दिन		
4	शाम का नाश्ते की दर प्रति छात्र प्रति दिन		
5	कुल दर प्रति छात्र प्रति दिन		

नोट: उपर्युक्त मूल्य में सभी प्रकार की सामग्री लागत, परिवहन लागत और ठेकेदार के लाभ मार्जिन शामिल हैं

आधिकारिक मुहर के साथ बोली
लगाने वाले का नाम और हस्ताक्षर

वित्तीय/वाणिज्यिक बोली

राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर, देहरादून				
कार्य का नाम		कैंटीन के संचालन		
प्रबन्धक का नाम				
क्र०सं०	मदों का विवरण	मात्रा	दर (रु० में)	दर (रु० में) शब्दों में
1	चाय	150 ml		
2	कॉफी	150 ml		
3	लेमन टी	150 ml		
4	ग्रीन टी	150 ml		
5	कोल्ड ड्रिन्क (फ्रूटी, एप्पी आदि)	150 ml		
6	समोसा	01 Pcs		
7	बन्द टिक्की	01 Pcs		
8	बन्द आमलेट	01 Pcs		
9	चाऊमीन	01 Plate		
10	पेटीज	01 Pcs		
11	टिक्की	01 Pcs		
12	ब्रेड पकोडा	01 Pcs		
1	चाय	150 ml		

नोट: उपर्युक्त मूल्य में सभी प्रकार की सामग्री लागत, परिवहन लागत और ठेकेदार के लाभ मार्जिन शामिल हैं

आधिकारिक मुहर के साथ बोली
लगाने वाले का नाम और हस्ताक्षर

राजकीय पॉलीटेक्निक, देहरादून कैंन्टीन मैन्यू का विवरण सत्र 2023-24

क्र०सं०	दिन	ब्रेकफास्ट (08:00 AM TO 09:00 AM)	लंच (01:00 PM TO 02:00 PM)	शाम का नारता (05:00 PM TO 06:00 PM)	डिनर (07:00 PM TO 09:00 PM)
1	सोमवार	4 पराठे + काले घने आलू + चाय	रोटी + चावल + सब्जी + राजमा	चाय 150 मिली० + 04 बिस्कुट	रोटी + चावल + सोयाबीन बडी की सब्जी + काली मलका
2	मंगलवार	4 पराठे + आलू टमाटर + चाय	रोटी + चावल + सब्जी + दाल उडद	चाय 150 मिली० + 01 ब्रेड पकोडा	रोटी + चावल + सब्जी + कडी पकोडा
3	बुधवार	6 पूरी + आलू की सब्जी + अचार + चाय	रोटी + चावल + सब्जी + अरहर मसूर	चाय 150 मिली० + 04 बिस्कुट	रोटी + चावल + सोयाबीन बडी की सब्जी + उडद साबुत
4	गुरुवार	2 आलू के पराठे + अचार + चाय	रोटी + चावल + सब्जी + कडी पकोडा	चाय 150 मिली० + 01 ब्रेड पकोडा	रोटी + चावल + सब्जी + चना उडद
5	शुक्रवार	4 पराठे + काले घने आलू + चाय	रोटी + चावल + सब्जी + काली मलका	चाय 150 मिली० + 04 बिस्कुट	रोटी + चावल + सब्जी + राजमा
6	शनिवार	4 पराठे + आलू टमाटर + चाय	रोटी + चावल + सोयाबीन बडी की सब्जी + उडद साबुत	चाय 150 मिली० + 01 ब्रेड पकोडा	रोटी + चावल + पनीर की सब्जी + ऐग करी
7	रविवार	6 पूरी + छोले + अचार + चाय + खीर/हलुआ	रोटी + चावल + सब्जी + अरहर मसूर	चाय 150 मिली० + 04 बिस्कुट	रोटी + चावल + सब्जी + चना उडद

नोट- सब्जी मौसमानुसार परिवर्तित होगी तथा प्रतिदिन लंच एवं डिनर में भी सब्जी और दाल परिवर्तित होगी।

सब्जियाँ निम्नवत रहेंगी
1- पत्ता गोभी आलू/शिमला मिर्च आलू/भिन्डी
2- गाजर आलू/बैंगन आलू/लौकी आलू
3- जीरा आलू/फरासबीन की फली/सोयाबीन की बरी
4- पत्ता गोभी आलू/शिमला मिर्च आलू/बैंगन आलू
5- अरबी की सब्जी/फूल गोभी आलू/भिन्डी
6- मटर आलू टमाटर/गाजर मटर आलू/तोरई
7- जीरा आलू/फरासबीन की फली/सोयाबीन की बरी